न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 639/2018

शंकरलाल पुत्र स्व. श्री सूज्या जाति जाट, निवासीः ग्राम देवकिशनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. गोपाल पुत्र श्री हजारी
2. छीतर पुत्र श्री सूज्या
3. सत्यनारायण पुत्र श्री सूज्या
4. लाला पुत्र श्री मांगू
   समस्त जाति जाट, निवासीः देवकिशनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
5. मन्नी देवी पत्नि छोट्या
6. अखेराम पुत्र श्री छोट्या
7. प्रभु पुत्री श्री छोट्या
8. राधा पुत्री श्री छोट्या
9. उगन्ति पुत्री श्री छोट्या
   समस्त जाति जाट, निवासीः ग्राम देवकिशनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
10. संगीता देवी पत्नि श्री विजय सिंह जाति जाट, निवासीः नीमडी की ढाणी वाटिका, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. नर्मदा देवी पत्नि श्री हनुमान सहाय, जाति जाट, निवासीः ग्राम देवकिशनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
12. लाला पुत्र रूघनाथ, जाति जाट, निवासीः ग्राम देवकिशनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
13. श्रीमान् तहसीलदार महोदय, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
14. श्रीमान उप पंजीयक महोदय कार्यालय चाकसू, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।
15. श्रीमती कमला पत्नि नन्छीलाल पुत्री नाथूलाल, जाति जाट, निवासीः ग्राम देवकिशनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर हल निवासीः तामडिया, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 06.07.2018 व डिक्री दिनांक 10.07.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर वाद संख्या 69/2013 उनवानी कमला बनाम सूज्या व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री शिशुपाल सिंह एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री नरेश कुमार जैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 15
श्री जी.एल. मीना एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय दिनांकः 09/12/2019

राजस्व अपील प्राधिकारी

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट की ओर से एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला जयपुर के वाद संख्या 69/2013 बउनवानी कमला बनाम सूज्या व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2018 एवं डिक्री दिनांक 10.07.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम देवकिशनपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर के खाता संख्या 20 के खसरा नंबर 35, 36, 37, 38, 39, 40 एवं 41 कुल किता 7 कुल रकबा 1.61 हैक्टेयर, खाता संख्या 102 के खसरा नंबर 208, 209, 211, 212, 213, 219 एवं 220 कुल किता 7 कुल रकबा 1.15 हैक्टेयर, खाता संख्या 118 के खसरा नंबर 88, 203, 204, 205, 206, 207 एवं 223 कुल किता 7 कुल रकबा 1.70 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 11 के खसरा नंबर 755 व 756 कुल किता 2 कुल रकबा 1.34 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के साबिक खसरा नंबर 14, 15, 30, 107, 109, 111 एवं 227 कुल किता 7 रकबा 22 बीघा 19 बिस्वा भूमि थी जो राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के पिता नाथू के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज था उससे पहले वादग्रस्त जमीन वादिया के दादा मांगू के नाम दर्ज थी। इस प्रकार वादग्रस्त सम्पत्ति वादिया की पैतृक भूमि है। नाथू का स्वर्गवास होने के पश्चात् प्रतिवादीगण ने राजस्वकर्मियो से सांठ गांठ करके नाथू को नाऔलाद बताते हुये उसका नामान्तकरण अपने नाम करवा लिया जबकि वादिया नाथू की पुत्री है व लगातार नाथू की मृत्यु से पहले व मृत्यु के पश्चात् वादिया उक्त भूमि पर काबिज है। स्व. नाथू की पत्नि भूली नाथू के स्वर्गवास होने के पश्चात् सूज्या के नाते चली गयी व उसी के साथ अपना गुजर बसर कर रही है, अतः वादिया ही उक्त भूमि की उत्तराधिकारी है जो उसे उत्तराधिकार में मिला है। अभी कुछ समय पूर्व वादिया भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रही थी कि प्रतिवादीगण अन्य व्यक्तियों के साथ वादग्रस्त भूमि पर आये व भूमि दिखाने लगे जिस पर वादिया ने ऐतराज किया तो प्रतिवादीगण क्रोधित हो गये एवं वहां भीड इकट्ठा होने पर उस समय तो वहां से चले गये लेकिन जाते समय भूमि बेचान की धमकी देकर गये। इस कारण वादिया को अपने खातेदारी अधिकारो की रक्षार्थ यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात में 1/4 हिस्से का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नहीं स्वयं करे, न ही अपने किसी एजेन्ट/सर्वेन्ट इत्यादि से करावे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 06.07.2018 द्वारा वादी वाद स्वीकार कर लिया गया एवं जिसकी डिक्री दिनांक 10.07.2018 को निष्पादित की गई। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 को ना तो नोटिस तामील करवाये एवं ना ही सुनवाई का कोई अवसर ही प्रदान किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 69/2013 एवं 37/2017 को हमफिता कर आदेश पारित किये है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के अनुतोष तकासमा पर कोई आदेश पारित नहीं किया है इस कारण भी अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कोई विवेचन नहीं किया है कि वादी ने अपना वाद किन साक्ष्यो के आधार पर सिद्व किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र सेटलेग्वेज में निर्णय पारित किया है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.07.2018 एवं डिक्री दिनांक 10.07.2018 खारिज फरमाया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 1984 पटना 161 पेश किया। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि वादग्रस्त आराजीयात पूर्व में वादी के दादा मांगू के नाम दर्ज थी इस कारण आराजीयात पैतृक होने से आराजीयात में वादी का जन्म से अधिकार निहित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् निर्णय पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर 2006 कलकत्ता 237, ए.आई.आर. 2008 गुवाहाटी 31, डब्ल्यू.एल.एन 1973 पेज 1–11 पेश किये।

4. वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में वाद प्रस्तुत किया जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 06.07.2018 के माध्यम से स्वीकार किया गया एवं जिसकी डिक्री दिनांक 10.07.2018 को जारी की गई। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद संख्या 69/2013 उनवान कमला बनाम सूज्या के दावा दायरी वर्ष 2013 के पश्चात् वर्ष 2017 में वादी/अपीलान्ट द्वारा एक अन्य दावा संख्या 37/2017 शंकर बनाम गोपाल विभाजन बाबत प्रस्तुत किया गया जिसमें दोनो दावों में विवादग्रस्त भूमि व पक्षकार समान होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.2017 को पश्चातवर्ती वाद संख्या 37/2017 उनवानी शंकर बनाम गोपाल को वाद संख्या 69/2013 उनवानी कमला बनाम सूज्या के साथ हमफिता किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। चूंकि अपीलान्ट वाद संख्या 37/2017 शंकर बनाम गोपाल में बतौर वादी के रूप में पक्षकार था इसलिये उक्त वाद में अन्य वाद संख्या 69/2013 कमला बनाम सूज्या के साथ हमफिता के आदेश प्रदान किये जाने से वाद संख्या 69/2013 कमला बनाम सूज्या के वादपत्र की सूचना उक्त आदेश दिनांक 11.10.2017 के माध्यम से वादी/अपीलान्ट को होना पाया जाता है जिससे अपीलान्ट द्वारा अपील में तामील संबंधी जो उज्र उठाये गये है, वह निराधार है। अपीलान्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

गोपाल को काफी अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद अपीलान्ट द्वारा कोई जवाब, साक्ष्य सबूत इत्यादि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट के सगे भाई प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के द्वारा जवाबदावा दिया जाकर वादपत्र में वर्णित सजरा खानदान को स्वीकार किया गया है एवं वादिया कमला को मृतक नाथू की एकमात्र पुत्री होने के तथ्य की पुष्टि की है। अपीलान्ट गोपाल द्वारा भी अपील में वादिया कमला द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में वर्णित सजरे खानदान का कोई खंडन या गलत होने बाबत कोई सबूत, दस्तावेजात इत्यादि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे यह साबित हो कि वादिया कमला मृतक नाथूलाल की एकमात्र वारिस नहीं हो। इस प्रकार मृतक नाथूलाल का विरासत नामान्तकरण उसकी पुत्री वादिया कमला के होते हुये भी नाथूलाल के भाईयों के गलत रूप से खोला गया है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र संख्या 37/2017 शंकर बनाम गोपाल में पक्षकारान के हिस्से वर्णित कर विभाजन का अनुतोष चाहा गया था जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.07.2018 में वादिया कमला को खातेदार घोषित किये जाने से वादपत्र संख्या 37/2017 शंकर बनाम गोपाल में वर्णित हिस्से परिवर्तित हो चुके है। जिससे वादपत्र संख्या 37/2017 शंकर बनाम गोपाल में वर्णित हिस्सो के अनुरूप विभाजन का अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर चस्पा नहीं होता है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय 06.07.2018 व डिक्री दिनांक 10.07.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर